Dir ...
ICD · 17105
14 · 3 · 73

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 2, 1976/आश्विन 10, 1898

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 2, 1976/ASVINA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1394 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम, भारतीय आर्थिक सेवा (द्वितीय संशोधन नियम 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 में—

(क) नियम 5 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(3) उपनियम (1) वर्णित प्रकार्य श्रेणी के अतिरिक्त सेवा में 2000-125-2250 के वेतनमान में एक गैर-प्रकार्य चयन श्रेणी होगी और ऐसी चयनश्रेणी की संख्या समय समय पर यथा अभिप्राप्त ग्रेड 1 और 2 के संयुक्त योग का 20% इस शर्त के अधीन नियत होगी कि यह किसी सुसगत समय पर यथा अभिप्राप्त ग्रेड 1 की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परन्तु किसी नियत समय पर सेवा में गैर-प्रकार्य चयन श्रेणी के अधिकारियों और गैर-प्रकार्य चयन श्रेणी के ही वेतनमान में प्रकार्य काडर पदो पर नियुक्त किए गए अधिकारियो की कुल संख्या इस उपनियम के अधीन नियत चयन श्रेणी की संख्या से अधिक नही होगी"

(ख) नियम 8 के उपनियम (1) मे खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) चयन श्रेणी —चयन श्रेणी में समस्त रिक्तियां ऐसे श्रेणी I के अधिकारियो की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष से कम सेवा न की हो और ऐसी नियुक्तियां बोर्ड की सलाह पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठता पर सम्यक् ध्यान रखते हुए गुणागुण के आधार पर की जाएंगी।

परन्तु श्रेणी I में यदि कोई अधिकारी पात्र है और चयन श्रेणी में नियुक्ति के लिए उस पर विचार गया है, तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ समस्त अधिकारियों पर भी ऐसी नियुक्ति के लिए विचार इस बात के हेतु हुए भी किया जाएगा कि उन्होंने उस समय श्रेणी I में पांच वर्ष सेवा नही की है।

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारियों को जिन्हें चयन श्रेणी अनुदत्त की गयी है चाहे वे उस वेतनमान में प्रकार्य काडर पद धारण करते हैं या श्रेणी I पद धारण करते हैं, इस शर्त के अधीन रहते हुए चयन श्रेणी से संलग्न वेतनमान में वेतन लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी कि चयन श्रेणी से संलग्न वेतनमान में वेतन लेने वाले अधिकारियो की कुल संख्या नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन नियत चयन श्रेणी की संख्या के भीतर है।"

[फा० सं० 11011/1/76-ई एस]

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th August, 1976

G.S.R. 1423.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising & Visual Publicity (Class III Posts), Recruitment Rules, 1962:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment Rules, 1962, against Serial number 34 relating to the post of Stenographer, for the entries in the columns 3 to 12, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6		7
		General Central Service Class-III (Non-Gazetted), (Ministerial).	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	100% by Selection failing which by direct recruitment.	Not applicable.	

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Between 18 to 24 years.	Essential : (i) Matriculation or equivalent of a recognised University or Board. (ii) Speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in typewriting.	Not applicable.	By selection through a test in Stenography from amongst Lower Division Clerks (ex-cadre) including Language Typists in the Directorate of Advertising & Visual Publicity with at least 3 years' approved service in the grade and possessing the qualifications prescribed in column 10.	

[No. A. 12018/4/76-Est.I/DS(I)]
R. C. TRIPATHY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1424—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, "लाइब्रेरी अटेंडेंट" के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 17 के सम्मुख, कालम 4 के अन्तर्गत प्रविष्टि '210-4-250-द० रो०-5-270 रुपये (संशोधित)' के स्थान पर प्रविष्टि '210-4-226-द० रो०-4-250-द० रो०-5-290 रुपये' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं० 1/17/73-बी० (ए)]
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

New Delhi, the 10th September, 1976

G.S.R. 1424. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 17 relating to the post of "Library Attendant", in column 4, for the entry 'Rs. 210-4-250-EB-5-270 (Revised)' the entry "Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290" shall be substituted.

[No. 1/17/73-B (A)]
M. L. TANDON, Under Secy.